**राज्यसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 286**

**22 जुलाई, 2015 को उत्तरके लिए**

**इस्पात का आयात**

286. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत प्रत्येक वर्ष लगभग एक मिलियन टन औद्योगिक श्रेणी के स्टेनलैस स्टील का उपभोग करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 40 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक श्रेणी के स्टेनलैस स्टील का आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से सस्ते औद्योगिक श्रेणी के स्टेनलैस स्टील का आयात करने के कारण घरेलू इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका देश में इस्पात उद्योग के विकास में एक सुविधा दाता के रूप में होती है। एक रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए औद्योगिक प्रयोजनों हेतु स्टेनलैस स्टील की खपत निम्नवत थीं :-

| **क्र. सं.** | **औद्योगिक क्षेत्र** | **खपत (हजार टन में)** |
|---|---|---|
| 1 | प्रोसेस इंडस्ट्रीज और विद्युत | 437 |
| 2 | इंजीनियरी | 194 |
| 3 | इलैक्ट्रोमेकेनिकल इंडस्ट्रीज | 24 |
| 4 | ओटोमोबाईल, रेलवे और ट्रांसपोर्ट | 214 |
| | **कुल** | **869** |

स्रोत : ईआरयू

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान स्टे नलैस स्टी:ल के आयातों का ब्यौ ारा नीचे दिया गया है:-

| **2014-15** | | **2013-14** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| मात्रा (हजार टन में) | मूल्यज(करोड़ रूपये में) | मात्रा (हजार टन में) | मूल्यज(करोड़ रूपये में) | **%** वृद्धि |
| 548.57 | 5918.91 | 367.81 | 4801.88 | 49.1 |

स्रोत : ईआरयू

(ग) और (घ): घरेलू इस्पा त निर्माता और अन्य: हित धारक इस्पा:त के आयातों में वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाते रहे है। यह सुनिश्चित करने के लिए की देश में केवल गुणवत्ता परक इस्पा त का ही आयात हो सरकार ने निम्नकलिखत उपाय किये है :-

(i) इस्पा ात और इस्पा त उत्पानद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश , दिनांक 12.03.2012 अधिसूचित किया गया और बाद में दिनांक 04.12.2014 को संशोधन जारी किया गया।

(ii) चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से हॉट रोल्डक चपटे स्टेगनलैस स्टीदल के आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया।

(iii) इस्पा त की विभिन्न श्रेणियों पर बेसिक सीमा शुल्कध में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

***